रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 947] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2017/अग्रहायण 2, 1939
No. 947] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2017/AGRAHAYANA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सं. 27 **/2017**–केंद्रीय उत्पाद-शुल्क **(**गै.टे.**)**

सा.का.नि.1442 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) संशोधन नियमावली, 2017.कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 में, नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

"10 (1) पुनरीक्षण के लिए आवेदन को ईए-8 फार्म में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के अनुसार अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त (पुनरीक्षण प्राधिकारी) के यहां दायर किया जाएगा:—

क्रम सं.	कार्यालय	आयुक्त (अपील) के आदेश (राज्य-वार & संघ-राज्य वार) के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई का अधिकार-क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	प्रधान आयुक्त (आर ए) और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार- **दिल्ली**	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, ओडिशा, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा

2	प्रधान आयुक्त (आर ए) और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार- **मुंबई**	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।

2. बोर्ड ऐसे पते, फोन नंबर तथा अन्य ब्यौरों को आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट करेगा तथा जिसकी संशोधनकर्ता प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार के लिए आवश्यकता हो।

3. उपनियम (1) के तहत पंजीकृत डाक से भेजे गए पुनरीक्षण आवेदन को उक्त प्रधान आयुक्त (आरए) के पास उस तारीख को जमा किया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को यह ऐसे अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।"

[फा. सं. 116/33/2017-सीएक्स 3]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 32/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 जून, 2001 को सा.का.नि. 446(अ), दिनांक 21 जून, 2001 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 23/2014-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 6 अगस्त, 2014 सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 6 अगस्त, 2014 के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2017

No. 27/2017-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 1442(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise (Appeals) Rules, 2001, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Appeals) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise (Appeals) Rules, 2001 for rule 10, the following shall be substituted, namely:—

"10(1) The revision application shall be filed in form E.A.-8 before the jurisdictional Principal Commissioner (Revisionary Authority) as per the jurisdiction specified in column (3) of the table below:—

TABLE

S.No.	Office	Jurisdiction to hear Revision Applications against Commissioner (Appeals) Order (State-wise and Union-Territory wise)
(1)	(2)	(3)
1	Principal Commissioner (RA) and ex-officio Additional Secretary to the Government of India- **Delhi**	Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Sikkim, Odisha, Rajasthan, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura.
2	Principal Commissioner (RA) and ex-officio Additional Secretary to the Government of India – **Mumbai**	Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Puducherry, Tamil Nadu, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh.

2. The Board shall pass an order specifying therein an address, phone numbers and other details relating to the Revisionary Authority.

3. The revision application shall be deemed to have been submitted to the said Principal Commissioner (Revisionary Authority) on the date on which it is received in the office of Revisionary Authority."

[F. No. 116/33/2017-CX 3]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 32/2001-Central Excise (N.T.), dated the 21st June, 2001 was published *vide* G.S.R. 446(E), dated the 21st June, 2001 and was last amended *vide* notification No. 23/2014-Central Excise (NT) dated 6th August, 2014 G.S.R. 566(E), dated the 6th August, 2014.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.23 18:16:32 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.